संख्या-78/2020/221ई/23-11-2020-1/2(102)/2016

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2020**

विषय:- जनपद बुलन्दशहर में डी0एफ0सी0सी0 रूट (एन0आर0) मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के सम्पार संख्या-16बी, कि0मी0 26/6-7 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ का पत्र सं0-504/पुन0आगणन-बुलन्दशहर (सम्पार सं0-16बी)/सेतु-6/19, दिनांक 16-05-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बुलन्दशहर में डी0एफ0सी0सी0 रूट (एन0आर0) मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के सम्पार संख्या-16बी, कि0मी0 26/6-7 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश सं0-95(1)/23-11-2016-1/2(102)/2016, दिनांक 20-02-2016 द्वारा लागत रू0 2371.50 लाख प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 3664.45 लाख (रू0 छत्तीस करोड़ चौसठ लाख पैतालिस हजार मात्र) (जिसमें मुख्य सेतु-रेलवे भाग की लागत रू0 2710.10 लाख एवं पहुॅच मार्ग की लागत रू0 954.35 लाख सम्मिलित है) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	जनपद बुलन्दशहर में डी0एफ0सी0सी0 रूट (एन0आर0) मेरठ-खुर्जा रेल सेक्शन के सम्पार संख्या-16बी, कि0मी0 26/6-7 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2371.50	3664.45

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी।

(8) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार अनुमन्य कर दी गयी है।

(9) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय वित्त समिति की लगायी गयी शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(12) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश सं0-95(1)/23-11-2016-1/2(102)/2016, दिनांक 20-02-2016 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-314/दस-2020, दिनांक 11 फरवरी, 2020 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-78/2020/221ई(1)/23-11-2020-तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- महाप्रबन्धक, संबंधित रेलवे।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in